न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्याः 297/2020 (जीसीएमएस 2020/00108)

1. गुगन पुत्र भगवाना जाति जाट निवासी सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

---अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार गुढा गोड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
2. चन्द्रप्रकाश,
3. रामजीलाल,
4. रामकुमार,
5. मोहरसिह, पुत्रान स्व. झुंथा जाति जाट निवासी सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
6. पतासी पत्नी स्व. झुंथा जाति जाट निवासी सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

---रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 17.08.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुंझुंनूं के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 570 रकबा 1.62 हैक्टेयर किस्म बारानी–1, बारानी–2, बारानी–3, सरहद राजस्व ग्राम सीथल में स्थित है, उक्त जमीन में से 350 वर्ग मीटर जमीन पर अपीलान्ट गुगन ने तथाकथित रूप से दुकान व टिनसेड तथा ढाबा संचालित कर कृषि भूमि में व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन करने बाबत पटवारी हल्का सीथल की रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार उप तहसील गुढा गोड़जी द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 90 अः भू–राजस्व अधिनियम 1956 में प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट के विरूद्ध आर टी एक्ट की धारा 177 की कार्यवाही की अनुषंशा कर आगामी कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी को भेजे जाने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने प्रथम अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुन्झुनूं के न्यायालय में पेश की जो अदालत मातहत ने दिनांक 11.02.2017 आंशिक रूप से स्वीकार की है जो निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय क्रमशः दिनांक 03.11.2014 व दिनांक 11.02.2017 खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली के होने से खारिज होने योग्य है क्योंकि जमीन हाल खसरा नम्बर 570 किस्म बारानी 1,2,3 राजस्व ग्राम सीथल में स्थित है, उक्त जमीन का सहखातेदार अपीलान्ट गुगन है, जिसके द्वारा अपनी कृषि भूमि में अपनी कृषि भूमि उपज डालने, मवेशियों को रखने के लिये कच्चे झोपड़े व कच्चे घर कृषि के अयोग्य हिस्से में बना रखे है जो कोई अवैध निर्माण नहीं है व पुराना निर्माण है, जिसे पटवारी हल्का ने तथाकथित रूप से उक्त जगह ढाबा चलाना बताकर कृषि भूमि को व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन करने बाबत गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्ध गलत रूप से धारा 90अ भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही कर निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा अपनी कृषि भूमि के कुछ हिस्से पर कृषि भूमि से कृषि उपज को रखने, कृषि से सम्बन्धित औजार रखने पशुधन को रखने व उनके लिये चारा इत्यादि रखने हेतु कच्चे झोपड़े व कच्चे घर कृषि के अयोग्य हिस्से पर बना रखे है, जिस पर धारा 90अ एल आर एक्ट के प्रावधान लागु नहीं होते क्योंकि कोई भी खातेदार अपनी कृषि भूमि के 50वें हिस्से पर कृषि उपज रखने कृषि औजारों को सुरक्षित रखने, पशुधन को रखने व उनके चारे पानी के लिये 50वें हिस्से तक निर्माण कार्य कर सकता है जिसके सम्बन्ध में धारा 90अ एल आर एक्ट की कार्यवाही नहीं हो सकती किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलान्ट के विरूद्ध उक्त कार्यवाही ड्रोप नहीं कर दोनों अदालत मातहत ने कानुनी गलती की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अदालत मातहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुंझुनूं को अपील सम्पूर्णरूप से स्वीकार करनी चाहिये थी क्योंकि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण धारा 90अ के तहत दर्ज कर प्रकरण में निर्णय पारित किया तथा निर्णय का निष्कर्ष बेदखली की बजाय धारा 177 आर टी एक्ट 1955 की कार्यवाही अमल में लाये जाने बाबत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी को अनुंषशा की है जबकि कोई भी न्यायालय को जिस धारा के तहत प्रकरण दर्ज करता है उसी के मुताबिक आदेश पारित करना चाहिये। उन्होने आगे कथन किया है कि मौजुदा प्रकरण में विवादित जमीन बाबत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में विभाजन का वाद विचाराधीन है जिसमें स्थगन है तथा भूमिधारी पाबन्द है जिसकी नकल अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष पेश की थी उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि मौजुदा प्रकरण में रेस्पोडेन्ट रामजीलाल शिकायतकर्ता है तथा स्वयं पक्षकार प्रकरण है तथा शिकायतकर्ता स्वय विवादित जमीन का को–टीनेन्ट है, शिकायतकर्ता रामजीलाल एवं अपीलान्ट के

परिवार के मध्य पहले से फौजदारी प्रकरण विचाराधीन है। इस कारण रेस्पोडेन्ट रामजीलाल ने जानबुझकर अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी से साज करके गलत निर्णय पारित करवाया है जो खारिज होने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट को पहले अदालत मातहत के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.02.2017 की जानकारी नहीं थी, दिनांक 08.05.2017 को अपीलान्ट द्वारा अपने वकील साहब से मुकदमें की प्रोग्रेस बाबत पुछने पर वकील साहब ने निर्णय जैर बहस के बारे में जानकारी दी तब अपीलान्ट ने दिनांक 08.05.2017 को अपीलान्ट के निर्णय जैर बहस की नकल प्राप्त की व अन्य दस्तावेज लाने बाबत अपीलान्ट के वकील साहब द्वारा कहा गया, तत्पश्चात् अपीलान्ट गम्भीर रूप से बीमार हो गया तथा जयपुर जाकर प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाया व 07.12.2017 को अपने घर पहुंचा व बाद में दिनांक 08.12.2017 को तुरन्त वकील साहब के पास आकर अपील तैयार करवायी दिनांक 09.12.2017 व 10.12.2017 को राजकीय अवकाश था, इस प्रकार दिनांक 08.12.2017 से अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद पेश की गई है, फिर भी किसी कारणवश अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद नहीं मानी जावे उस सूरत में अपीलान्ट को हुई देरी माफ की जाकर दफा 5 कानुन मियाद अधिनियम का लाभ दिया जावे दफा 5 कानुन मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ अलग से प्रस्तुत है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 एवं नायब तहसीलदार गुढागौडजी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2014 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 ने कथन किया है कृषि भूमि खसरा नम्बर 570 रकबा 1.62 हैक्टयर वाकै ग्राम सींथल अविभाजित हिस्सा 1/2 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 के परिवार के सदस्य तथा अपीलान्ट गूगन पुत्र भगवाना हिस्सा 1/2 है जो राजस्व रिकार्ड में कृषि प्रयोजनार्थ अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 के नाम दर्ज है, उपरोक्त कृषि भूमि के अन्य हिस्सा 1/2 के खातेदार अपीलान्ट गूगन ने उपरोक्त भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ लेना आरम्भ करदिया है तथा मौके पर कृषि से अकृषि उपयोग में लिया जा रहा है जिससे अपीलान्ट ने 1/2 हिस्से पर हक काश्तकारी का अधिकार समाप्त कर लियो है तथा उसे उपरोक्त भूमि का खातेदार रहने का हक हांसिल नही है इसलिये खातेदार अपीलान्ट ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क के प्रावधान का अनुपालन नही किया है और अधिनियम की धारा 90के के खण्ड 5 के तहत कार्यवाही से गैर कृषि प्रयोजनार्थ प्रयोग के कारण बेदखल कर भूमि राज्य सरकार में निहित की जानी चाहिये किन्तु अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त

जिला कलक्टर झुन्झुनू का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 खारिज किया जावे एवं नायब तहसीलदार गुढागौडजी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2014 को यथावत रखा जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट का कथन रहा है कि वादग्रस्त आराजी केवल कृषि कार्यों एवं अपने पशुधन के चारे पानी इत्यादि के लिये कच्चे झोपडे बनाये गये है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 का कथन रहा है कि वादग्रस्त आराजी अकृषि प्रयोजनार्थ प्रयोग में ली जाकर व्यावसायिक गतिविधियॉ की जा रही है उक्त तथ्यों की जॉच एवं स्वयं मौके की जॉच करने पुनः आदेश हेतु प्रकरण तहसीलदार उदयपुरवाटी को रिमाण्ड किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुंझुंनूं द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.02.2017 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।